कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2083 /11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 20 ,2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषयः– पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2108/29–1, दिनांक 16.02.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रभागीय निदेशक, जौनपुर के द्वारा दिनांक 19.02.2021 को अपराह्न में उपलब्ध कराया गया, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑन–लाइन एवं हार्ड कॉपी मे निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखो का अभाव पाया गयाः

क्रम सं0	कमियाँ	गाजीपुर वन प्रभाग	जौनपुर वन प्रभाग
1.	वन संरक्षक, वाराणसी के स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी में रेलवे विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, ऑनलाइन भाग–2, हार्डकापी भाग–2, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं Certificate of Non-Violation of Forest Conservation Act, 1980 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः उल्लंघन की स्थिति को स्पष्ट करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रस्ताव प्रेषित करें।	✓	✓
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के kml file के परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि चयनित स्थल काफी घना है, जोकि वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुरूप नहीं है। इसका DSS Analysis कराकर पुनः परीक्षण कर लें। यदि चयनित स्थल मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो ओबरा वन प्रभाग में लैण्ड बैंक के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अवनत वनभूमि उपलब्ध है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक अवनत वनभूमि का ओबरा वन प्रभाग में चयन कराकर इससे सम्बन्धित अभिलेख यथा संशोधित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file CD प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें तथा पूर्व में लगे हुये इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव से पृथक कर ऑनलाइन भाग–2 से भी डिलिट करें। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) एवं हार्डकापी भाग–2 में अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	✓	✓
3.	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	✓	✓
4.	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में जौनुपर वन प्रभाग में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 26.5611 हे0 अंकित है तथा रोपित पौधों की सं0 2692 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल एवं रोपित पौधो की सही संख्या अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र अपलोड करें।	✓	✓
5.	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची के सारांश में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है तथा ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी में अंकित व्यास वर्ग में वृक्षों की संख्या भिन्न–भिन्न फीड की गयी है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार सही व्यास वर्ग में वृक्षों की सही संख्या का उल्लेख कर वैज्ञानिक नाम सहित व्यासवार सारांश प्रस्ताव में संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	×	✓
6.	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि एवं वृक्षारोपण स्थल के के0एम0एल0 फाइल की सीडी संलग्न नहीं है। अतः दोनो वन प्रभागों की प्रस्तावित वनभूमि एवं वृक्षारोपण स्थल के के0एम0एल0 फाइल की समेकित सीडी संलग्न करें।	×	✓

Acy-241

अतः कृपया तत्काल अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2083/11–सी– **FP/UP/Rail/41878/2019**, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर/जौनपुर।
2. उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी।
3. अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी/परियोजना हेतु अधिकृत अधिकारी।

20/2/21
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

Acy-242